न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद

...यान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
06 / 16	14.04.2016	25.04.2018
09 / 16	18.01.2016	25.04.2018

पीठासीन अधिकारी – तारामती वैष्णव (**R.A.S.**)

उनवान

1. काना पुत्र नारायण
2. रतना पुत्र नारायण जाति मेघवाल निवासीगण भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादीगण

बनाम

1. इन्द्र पुत्र गजानन्द जाति मीणा निवासी भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद, जिला कोटा

– प्रतिपक्षीगण

उनवान

1. इन्द्र कुमार पुत्र किशोर जाति मीणा निवासी भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

–प्रार्थी

बनाम

1. कान्हा पुत्र नारायण जाति मेघवाल
2. रतना पुत्र नारायण जाति मेघवाल निवासीगण भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिपक्षीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

उपस्थित अभिभाषक–

– श्री बलराम शर्मा प्रार्थीगण की ओर से
– श्री छीतर लाल गोचर प्रतिपक्षी की ओर से

–::अ ...म

...दखल

...तपक्षी नं0

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध प्रतिपक्षीग ... पनें प्रतिनिधि के साथ पेश किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त ... जिला कोटा में अन्य भूमियों के साथ नये ख0नं0 ... थी। उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण की गैरखातेदारी में द ... को जरिये सम्मन् तलब काबिज काश्त चले आ रहे है व मौके पर 0.12 हे0 ... ुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण

कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से ख0नं0 331 की 0.12 हे0 स्थान पर 0.06 हे0 भूमि दर्ज कर दी, जिसकी जानकारी नकल जमाबंदी सं0 2068–72 की नकल दिनांक 28.12.2015 को लेनें पर हुई। प्रतिपक्षी नं0 2 के कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रार्थीगण के खातें में भूमि कम दर्ज करनें का कोई अधिकार नहीं है जबकि मौके पर पूरी भूमि है, इस कारण प्रार्थीगण के खातें कम की गयी 0.06 हे0 भूमि जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है को प्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर यानी ख0नं0 331 की 0.06 हे0 के स्थान पर 0.12 हे0 भूमि का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण के खातें में भूमि कम दर्ज किये जानें पर प्रतिपक्षी नं0 1 के मन में बदनियती आ गयी है और प्रतिपक्षी नं0 1 आये दिन प्रार्थीगण को उसकी 0.12 हे0 भूमि के कब्जें काश्त में मदाखलत व मजाहमत पैदा करता रहता है जिसका कि प्रतिपक्षी नं0 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी नं0 2 को प्रार्थीगण के राजस्व रिकॉर्ड में कम दर्ज की गयी भूमि को पूरी भूमि दर्ज करनें के लिये निवेदन किया तो प्रतिवादी नं0 2 ने प्रार्थीगण के कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया और कमी पूर्ति नहीं की गयी जिससे प्रार्थीगण को नुकसान हो रहा है। प्रतिपक्षी नं0 1 दिनांक 11.01.2016 को प्रार्थीगण के कब्जें काश्त व खातें की आराजी पर आया तथा प्रार्थीगण के कब्जें काश्त में व्यवधान पैदा करनें की धमकी दी है, यदि प्रार्थीगण को उक्त ख0नं0 331 की 0.12 हे0 भूमि से बैदखल कर दिया गया व भूमि मौके पर कम कर दी गयी तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी तथा दावा पेश करना ही बैकार हो जावेगा। प्रार्थीगण का केस प्राईमा फैसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होनें की पूर्ण सम्भावना है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि ताफैसला दावा प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की जावें कि प्रतिपक्षीगण ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद की ख0नं0 331 की 0.12 हे0 भूमि अथवा उसके भाग से बैदखल नहीं करें, प्रार्थीगण के कब्जें काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें और उक्त भूमि पर प्रतिपक्षी नं0 1 काश्त करनें की कोशिश नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न अपनें प्रतिनिधि द्वारा करावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। प्रतिपक्षी नं0 1 ने जवाब जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण

अस्वीकार कर विशेष कथन किये कि प्रार्थीगण ने सर्वथा असत्य तथ्यों के आधार पर सही तथ्यों को छिपाते हुए वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज होनें योग्य है। प्रार्थीगण को प्रतिपक्षी नं0 1 के खिलाफ कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है इस कारण वाद कारण के अभाव में दावा व प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज होनें योग्य है। वास्तविकता यह है कि प्रतिपक्षी नं0 1 के नाना गजानन्द पुत्र रोडू मीना निवासी भीमपुरा तहसील दीगोद को पुरानें ख0नं0 101/2 की 11 बिस्वा भूमि आवंटन की गयी थी तथा आवंटन के पश्चात् उक्त भूमि पर जंहा पर कब्जा गजानन्द को दिया गया था वंहा पर ही गजानन्द का कब्जा काश्त चला आ रहा था। तत्पश्चात् उक्त भूमि गैरखातेदारी व बाद में खातेदारी में दर्ज कर दी गयी। इसके बाद प्रतिपक्षी नं0 2 के सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट कार्य कर दिया और बाद सेटलमेंट उक्त भूमि के नये ख0नं0 333 की 0.05 हे0 व ख0नं0 334 की 0.05 हे0 कायम करते हुए उक्त भूमि गजानन्द के नाम दर्ज की गयी। बाद सेटलमेंट गजानन्द का मौके पर नक्शा ट्रेस के अनुसार ख0नं0 331 की भूमि पर ही कब्जा चला आ रहा था जो सहवन से प्रार्थीगण के खातें दर्ज कर दी तथा प्रतिपक्षी के खातें सहवन से ख0नं0 333 व 334 की भूमि दर्ज कर दी। जबकि ख0नं0 333 व 334 की भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है व प्रार्थीगण का मकान बना हुआ है तथा प्रार्थीगण के खातें दर्ज ख0नं0 331 की भूमि पर कभी भी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है। इस कारण गजानन्द के खातें में ख0नं0 331 की 0.10 हे0 दर्ज किया जाना व ख0नं0 334 की 0.06 हे0 भूमि दर्ज किया जाना आवश्यक हो गया है इससे किसी के भी खातें में कोई रकबा कम व ज्यादा नहीं हो रहा है बल्कि केवल ख0नं0 बदल रहे है। जिसमें प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये। उपरोक्त भूमि के खातेदार प्रतिपक्षी नं0 1 के नाना- गजानन्द पुत्र रोडू थे जिन्होनें प्रतिपक्षी नं0 1 को दो वर्ष की उम्र में अपनें पास रखा पाला पोसा लिखाया पढाया शादी विवाह किया तथा प्रतिपक्षी नं0 1 को अपना वारिस बनाया प्रतिपक्षी नं0 1 ने ही अपनें नाना गजानन्द की मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया व प्रतिपक्षी नं0 1 के पगडी बांधी गयी। गजानन्द ने अपनें जीवनकाल में अपनी स्वयं की इच्छा से दिनांक 06.06.81 को एक वसीयतनामा भी आलेखित किया जिसमें प्रतिपक्षी नं0 1 को अपना वारिस माना है। खातेदार गजानन्द की मृत्यु हो चुकी है और प्रतिपक्षी नं0 1 गजानन्द की मृत्यु के बाद उक्त भूमि ख0नं0 331 की 0.10 हे0 भूमि को काश्त करता चला आ रहा है तथा उक्त भूमि का खातेदार हो गया है तथा उक्त भूमि प्रार्थीगण के खातें से हटाकर गजानन्द के खातें व बाद गजानन्द के खातें से बतौर वारिस प्रतिपक्षी नं0 1 अपनें खातें दर्ज करानें का अधिकारी है तथा गजानन्द के खातें दर्ज ख0नं0 333 व 334 की भूमि

र्थीगण के खातें दर्ज करानें का अधिकारी है। इस सम्बन्ध में प्रतिपक्षी नं0 1 ने प्रार्थीगण के खिलाफ वाद पेश किया हुआ है। प्रार्थीगण का उपरोक्त भूमि ख0नं0 331 पर किसी प्रकार का कब्जा व हक व अधिकार नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण कमी रकबा की पूर्ति करानें के अधिकारी नहीं है। बल्कि उक्त भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 अपनें खातें दर्ज करानें का अधिकारी है। किन्तु प्रार्थीगण बदनियती पूर्वक प्रतिपक्षी नं0 1 को येन केन प्रकारेण नुकसान पंहुचानें के प्रयास में है। यदि प्रार्थीगण को उक्त कृत्य करनें से नहीं रोका गया तो प्रतिपक्षी नं0 1 को अपार क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी। प्रार्थीगण के खातें में पुरानें ख0नं0 101 की 7 बिस्वा भूमि थी जिस पर वर्तमान में प्रार्थीगण के मकान बने हुये है उसको मौके पर नये ख0नं0 333 व 334 कायम किया गया है तथा राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से ख0नं0 331 रकबा 0.06 हे0 प्रार्थीगण के खातें दर्ज किया गया है जिसका नांजायज फायदा प्रार्थीगण उठानें पर आमादा है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण नें वाद पेश करनें से पूर्व धारा 80 जा0 दी0 का नोटिस प्रतिपक्षी नं0 2 को दिया जाना आवश्यक था जो प्रार्थीगण ने नहीं दिया है इस कारण बिना नोटिस दिये वाद चलनें योग्य नहीं होनें से खारिज होनें योग्य है। प्रार्थीगण का केस प्राईमा फेसाई केस नहीं है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है तथा अपरिमित क्षति होनें की कोई संभावना नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिपक्षी नं0 1 ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण संख्या 9/16 इन्द्र कुमार बनाम कान्हा वगे0 प्रस्तुत कर प्रार्थी इन्द्र कुमार ने निवेदन किया है कि ताफैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की जावें कि प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 प्रार्थी को उपरोक्त ग्राम भीमपुरा की ख0नं0 331 की 0.10 हे0 भूमि से बैदखल नहीं करें और प्रार्थी के कब्जें काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें और उक्त भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैचान, अन्तरण आदि नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न अपनें प्रतिनिधि से करावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण द्वारा निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये–

1. फोटो विवादित भूमि कुल–4 किता
2. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी भू–प्रबंध ग्राम भीमपुरा सं0 2043–62
3. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भीमपुरा सं0 2069–72 खाता नं0 12

4. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भीमपुरा सं0 2069–72 खाता नं0 18
5. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भीमपुरा सं0 2034–37
6. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भीमपुरा सं0 2034–37
7. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भीमपुरा सं0 2053–56
8. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भीमपुरा सं0 2053–56
9. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भीमपुरा सं0 2034–37
10. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भीमपुरा सं0 2034–37
11. फोटोप्रति प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल ग्राम भीमपुरा सं0 2043–62
12. फोटोप्रति प्रतिलिपि नक्शा ग्राम भीमपुरा सन् 1980–81
13. फोटोप्रति प्रतिलिपि नक्शा ग्राम भीमपुरा सन् 1948–49
14. फोटोप्रति वसीयत नामा दिनांक 06.06.1981
15. छायाप्रति एफ0आई0आर0 सं0 83 दिनांक 02.06.2016
16. छायाप्रति परिवाद मेमो उनवान कन्हैयालाल बनाम इन्द्रराज वगे0
17. छायाप्रति बयान गवाहान दिनांक 10.06.2016
18. छायाप्रति फर्द नक्शा मौका रिपोर्ट दिनांक 10.06.2016

बाद साक्ष्य विद्वान् वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील श्री सी0एल0 गोचर ने दौराने बहस कथन किये कि ख0नं0 101 में से गजानन्द को भूमि आवंटित की गई थी, जिसका नक्शा हमारें द्वारा पेश किया गया है। जिस स्थान पर गजानन्द को दखल दिया गया था, वही आज भी हम काबिज कॉश्त है। बाद सेटलमेंट ख0नं0 333 व 334 पर गजानन्द का नाम दर्ज किया गया, जबकि हमारा कब्जा ख0नं0 333 व 334 पर नहीं है, हमारा कब्जा ख0नं0 331 पर है। मौका रिपोर्ट के अनुसार ख0नं0 331 पर कब्जा हमारा है, जबकि ख0नं0 331 के खातेदार काना, रतना है। ख0नं0 332 पर काना, रतना का कब्जा है तथा ख0नं0 333 पर भरोसी बाई का कब्जा होना बताया जाता है। ख0नं0 331 पर हमारा कब्जा मेरें नाना गजानन्द के आवंटन के समय से ही है। ख0नं0 331, 332, 334 पुरानें ख0नं0 101 से ही बने है। काना, रतना के विरूद्ध एफ0आई0आर0 भी दर्ज करवाई गई थी, एफ0आर0 में हमारा ही कब्जा माना गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

दौरोनें बहस विद्वान वकील श्री बलराम शर्मा ने कथन किये कि प्रार्थीगण काना, रतना को दिनांक 28.18.1976 को भूमि आवंटित हुई थी। आवंटी गजानन्द नें ख0नं0 333 व 334

कभी एतराज नहीं किया। हमारें द्वारा आवंटन की समस्त राशि जमा करवा दी है। तेद आराजी ख0नं0 331 का वर्तमान में खातेदार मैं हूँ। इन्द्रकुमार (गजानन्द) की ओर से टन की न तो पत्रावली प्रस्तुत की गई, न ही दखलनामा प्रस्तुत किया। गजानन्द की मृत्यु बाद उसकी स्मारिका ख0नं0 334 में बनी हुई है। ख0नं0 332 में पूरा गांव बसा हुआ है एवं हमारें मकान भी बने हुए है। दिनांक 29.11.2017 की रिपोर्ट में विवादित आराजी पर तार फेंसिन्ग होना बताया है। मेरें द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र का इनके द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। विवादित आराजी पर इनका कब्जा हो इस बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। मैं रिकॉर्डेड खातेदार हूँ, तथा इन्द्रकुमार अतिक्रमी है। अतः इनका प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर, हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

बहस रिपीटल में वकील श्री सी0एल0गोचर ने कथन किये कि विवादित आराजी पर हमारा कोई अतिक्रमण नहीं है। प्रतिपक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया कि हमारें द्वारा कब ख0नं0 331 पर कब्जा किया गया।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष के कथनों पर विधि सम्मत विचार किया तथा प्रार्थीगण के द्वारा वॉच्छित रिलीफ का भी अवलोकन किया। हस्व जमाबंदी सं0 2069–71 वाके ग्राम भीमपुरा के अनुसार ख0नं0 331 रकबा 0.06 हे0 भूमि के सम्बन्ध में काना, रतना पुत्र नारायण जाति मेघवाल का खातेदार का स्टैटस प्रकट एवं प्रमाणित होता है तथा ख0नं0 333 रकबा 0.05 हे0 एवं ख0नं0 334 रकबा 0.05 हे0 भूमि गजानन्द पुत्र रोडू जाति मीना की खातेदारी में दर्ज है। खातेदार गजानन्द फोत हो चुका है तथा इन्द्र कुमार, गजानन्द द्वारा आलेखित वसीयत दिनांक 06.06. 1981 के आधार पर गजानन्द की खातेदारी भूमि पर अपनें अधिकार होना एवं कब्जें के सम्बन्ध में क्लेम कर रहा है। उक्त विवादित आराजी उभयपक्ष की आवंटन शुदा आराजी है, जो एक ही गत ख0नं0 से आवंटन होना जाहिर आता है। अतः ख0नं0 331 रकबा 0.06 हे0 भूमि के सम्बन्ध में काना, रतना पुत्र नारायण का तथा ख0नं0 333 रकबा 0.05 हे0 एवं ख0नं0 334 रकबा 0.05 हे0 भूमि के सम्बन्ध में इन्द्र कुमार का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रकट होता है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में ख0नं0 331 पर अपना–अपना कब्जा होनें के सम्बन्ध में कथन किये है परन्तु कब्जे बाबत कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि विवादित भूमि पर वे काबिज़ काश्त है, जबकि मौका रिपोर्ट दिनांक 14.11.2017 एवं 29.11.2017 अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में मौके पर ख0नं0 331 पर कौन

न है। उक्त दोनों रिपोर्ट विरोधाभासी प्रतीत होती है। जिससे मौके पर कौन काबिज है नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन बिन्दु उभयपक्ष का नहीं पाया जाता है।

वादग्रस्त भूमि वर्तमान में काना, रतना के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, किन्तु मौके पर कौन काबिज काश्त है यह बिन्दु स्पष्ट नहीं है, उभयपक्ष के मध्य विवाद मौके को लेकर है तथा उभयपक्ष विवादित आराजी पर अपना–अपना कब्जा होना क्लेम कर रहे है। चूंकि काना, रतना विवादित आराजी के वर्तमान में अभिलिखित खातेदार है, जबकि इन्द्र कुमार उक्त भूमि पर काबिज होनें के कथन कर रहा है। लिहाजा अपरिमित क्षति का बिन्दु भी उभयपक्ष का समान रूप से पाया जाता है।

उभयपक्ष को विवादित आराजीयात पर या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार हैं या होने चाहिये इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक् साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक् विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर , परन्तु दावे की मूल विषयवस्तु जो कि विवादित आराजी है , को सुरक्षित तथा संरक्षित बनाये रखने के मध्यनज़र और साथ ही उभयपक्ष के विधिक स्वत्व की रक्षार्थ एवं वाद बाहुल्य को रोकने के कम में हम उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अंशतःस्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

परिणामतः प्रार्थना पत्र उभयपक्ष आंशिक स्वीकार किये जाकर आदेश दिये है कि उभयपक्ष ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 331 की मौके की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण पर्यन्त बनाये रखें।

पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे, आदेश की प्रति प्रकरण सं0 06/16 व 9/16 दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

निर्णय आज दिनॉक 25/04/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद